हुक्म

T.I. प्र०सं० 4 न्याय आपके द्वार 2018

30-5-18 पत्रावली सहायक लोक अभियोजक के एक मौखिक मांग पर पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली का उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना-पत्र आरोपी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित वाद अधिघोषणा से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आरोपी निषेधाज्ञा के तौर पर बिन्दु वाद पुष्टया मय (2) सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आरोपी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रतिबिम्ब के इस आशय से आरोपी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि वह मौजा तहसील दौसा स्थित वाद ग्रस्त भूमि ख.नं. 3212 रकबा 0.08 है. भूमि में सामान्य रास्ता एवं मौके की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखे। प्रकरण फैसल मुताबिक डिमजन्स से कायम तकाबाद तर्मीम प्रविष्ट लोक अदालत एवं मूल वाद के संबंध में निर्णय सहायक लोक अभियोजक के एक मौखिक मांग के मद्देनजर आज में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दौसा